

the services of the individual to ensure smooth functioning of the hospital services. Three employees were allotted out of turn residential accommodation during the period from 1-1-1977 to 31-12-1979. They were posted in Gynaecological Ward, Emergency Ward and Old Nurses hostel.

(c) Four.

(d) No. The matter is under consideration by Delhi Administration.

(e) and (f). None, as the matter is under consideration by Delhi Administration.

**मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत रेलवे श्रमिक यूनियनों की संख्या**

430. श्री सत्यनारायण जाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में मान्यताप्राप्त तथा पंजीकृत श्रमिक यूनियनों की प्रत्येक की सदस्यता तथा उनसे संबद्ध कर्मचारियों की कुल संख्या की प्रतिशतता अनग-अलग दर्शाने हुए, कुल संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रमिक यूनियन को मान्यता तथा सदस्यता दिए जाने की तिथि तथा उस समय रेल कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी ?

(ग) रेलवे में यूनियनों को मान्यता दिए जाने को शर्त क्या है तथा क्या इस समय सभी पंजीकृत और मान्यताप्राप्त यूनियनों इन शर्तों को पूरा करती हैं,

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो उन यूनियनों के नाम क्या हैं जो इन शर्तों को पूरा नहीं करतीं और तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(ङ) केन्द्रीय त्रम संगठन, जिनसे रेलवे की प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक यूनियन सम्बद्ध है, नाम क्या है ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय-कार्य विभाग में उपसत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :**

(क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों पर उन मान्यता-

प्राप्त और पंजीकृत यूनियनों जिन्हें बहुत दिनों पहले मान्यता दी गयी थी की सदस्यता आंकड़े दिए गए हैं । इन यूनियनों ने 12.87 लाख कर्मचारियों की सदस्यता का दावा किया है जो रेलों पर कुल अराजपत्रित कर्मचारियों के लगभग 83 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता का द्योतक है ।

(ग) और (घ). जिन यूनियनों को मान्यता दी जाती है, वे इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन पंजीकृत होना चाहिएं, और इसमें सभी कोटियों के कर्मचारियों को व्यापक रूप में सम्मिलित किया गया हो और ये कर्मचारियों की वर्गवार कोटियों से मिल कर न बनीं हों । प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संलग्न विवरण में जिन मान्यताप्राप्त यूनियनों की सूची दी गयी है वे इन सभी शर्तों को पूरा करती हैं । इन मान्यताप्राप्त यूनियनों के अलावा रेलों पर काफी संख्या में गैर-मान्यताप्राप्त यूनियन भी काम कर रही हैं जिनके बारे में सरकार के पास सही ध्याना नहीं है ।

(ङ) रेलों पर सभी मान्यताप्राप्त यूनियनों या तो आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन अथवा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन से सम्बद्ध हैं जिसका उल्लेख प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर से सम्बन्धित संलग्न विवरण में किया गया है ।

### विषय

I. आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन में सम्बद्ध यूनियनों के नाम	सदस्यता की बतायी गयी संख्या (लगभग)
---	------------------------------------

1	2
नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन	1,13,288
ईस्टर्न रेलवेमैन यूनियन	96,50

1	2
नादरन रेलवेमैन्स यूनियन एम० एफ० रेलवे मजदूर यूनियन	1,10,505 51,351
सदरन रेलवे मजदूर यूनियन एस० ई० रेलवे मजदूर यूनियन	65,680 67,245
एस० सी० रेलवे मजदूर यूनियन	66,550
वैस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	1,06,110
जोड़	6,77,230

## II. नेशनल फंडरेशन ग्राफ

इंडियन रेलवेमैन से सम्बद्ध यूनियनों के नाम	
सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ	92,853
ईस्टर्न रेलवेमैन्स कांग्रेस	75,854
उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन एन० ई० रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	85,405 25,180
एन० एफ० रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	35,480
सदरन रेलवे एम्प्लाइज संघ	61,456
एस० ई० रेलवेमैन्स कांग्रेस	89,955
एस०सी० रेलवे एम्प्लाइज संघ	61,120
वैस्टर्न रेलवे मजदूर संघ	83,010
जोड़	6,10,313

## Appointment of Scheduled Tribes in different categories

431. SHRI JAI NARAIN ROAT:  
Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to lay a statement showing the number of scheduled tribes who have so far been appointed in the following categories in the Ministry of Health and Family Welfare:

(i) Class IV employees;

(ii) Class III employees;

(iii) Class II non-gazetted and gazetted officers;

(iv) Class I gazetted officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): The information is given below:—

*Category of Employees : Number of Scheduled Tribes so far appointed in the Ministry of Health and Family Welfare.*

(i) Class IV	3
(ii) Class III	10
(iii) Class II	
Non-gazetted	5
Gazetted officer	1
(iv) Class I	2

## Harassment to Indians who intend to visit U.K.

432. SHRI K. P. SINGH DEO:  
SHRI R. P. GAEKWAD:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of refusals for entry into UK by Indians has been rising steadily high;

(b) whether it is also a fact that number of refusal was double in 1970 as compared to 1979;

(c) whether Government would try and have a visa system introduc-